

आदिवासी क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विविध आयाम

चतुर्भुज विश्वकर्मा

शोधार्थी-भूगोल, शोध केन्द्र शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. सी. पी. तिवारी

सेवानिवृत्त प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, रायपुरकचुलियान, जिला-रीवा (म.प्र.)

शोध-सारांश

सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सहित स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सहित संबंधित राज्य सरकारों की है। हालाँकि, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर स्थित अनूपपुर जिला के पुष्पराजगढ़ तहसील अन्तर्गत निवास कर रहे आदिवासियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध आयामों को विवेचन किया गया है।

मुख्य शब्द :-आदिवासी, क्षेत्र, पुष्पराजगढ़, स्वास्थ्य, सुविधाओं, विविध, आयाम, शारीरिक, उपलब्धता, अस्पताल, परिवारकल्याण, सार्वजनिक संस्था ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रस्तावना :-

स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों को प्रदान करना प्राचीन परम्परा रही हैं। मनुष्य जैसे जन्म लेता है वह अपने पर्यावरण में संघर्ष करने के लिये अपने शरीर को तैयार करता है। यह तैयारी प्रकृति जन्म होती है। किन्तु कभी-कभी शरीर में ऐसी कमजोरी आ जाती है। जिसके कारण मानव शरीर अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करते हुए भी विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है जिसका निदान किये वगैर स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता। प्राचीन काल में भारत में चरक सुश्रुत, धन्वतरि, जैसे चिकित्सकों ने विभिन्न जड़ी-बूटियों के द्वारा व्यक्तियों का उपचार कर लोगों के स्वास्थ्य की गुणवत्ता बनाये रखते थे जिससे यह स्पष्ट होता है। कि रोग तथा रोग निदान की परम्परा बहुत पुरानी है।

किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में उस प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि जनसंख्या अपने शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों के द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपने हित में करती है जिससे क्षेत्रीय विकास का प्रतिरूप तैयार होता है। इसके अतिरिक्त अपने पर्यावरण से सामंजस्य बनाये रखने के लिए भी उसे अनुकूलन एवं रूपांतरण की क्रियाओं को सम्पादित करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में जनसंख्या का स्वस्थ रहना नितांत आवश्यक होता है। यदि जनसंख्या का औसत स्वास्थ्य ठीक है तो पर्यावरणीय परिवर्तनों से जनित रोग उससे कम प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यों का निरन्तर संपादन होता रहता है। जब कभी लोग रूग्णता के शिकार हो जाते हैं। तो विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

स्वास्थ्य जीवन अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य ठीक न होने पर सारी सम्पदाएँ तुच्छ बन जाती हैं। रोग केवल कष्ट और पीड़ा ही नहीं भोगता अपितु वह संसार के समस्त कार्यों के लिए अक्षम भी हो जाता है स्वयं कष्ट भोगते हुए परिवार को दुःख और चिन्ता में डाल देता है प्रतिक्षण उसे जीवन के नाश की आशंका बनी रहती है और अंत में उसका जीवन नष्ट हो जाता है।

कुछ लोग स्वास्थ्य शारीरिक योग्यता को कहते हैं जिसके द्वारा वह शरीर से अधिक काम लेते हैं या अधिक समय तक जीवित रहे और अच्छी सेवा करे।

स्वस्थ शरीर का होना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य का स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है तो वह समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी हालातों में कहा जाता है कि मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य न केवल उनके अपने के लिए बल्कि उसके परिवार, देश और समाज सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए स्वामी श्री विवेकानंद ने एक जगह लिखा है। “नायमात्मा वल हीने लक्ष्य” अर्थात् निर्वल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता। चाहे वह शारीरिक रूप से निर्वल हो अथवा मानसिक रूप में ऐसा व्यक्ति जीवन के महान उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि आपस में सहनशीलता, आत्म सम्मान का अभाव होता है।

स्वास्थ्य का महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीवन में कई कार्य करने होते हैं। उसकी आजीविका जीवन निर्वाह के लिए कमाना पड़ती है। उसे अपने माता-पिता और बच्चों को सहारा देना होता है। उसे दूसरे पारिवारिक उत्तरदायित्वों को भी निभाने होते हैं। अतः यह कार्य एक स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करती है। एनएचएम में इसके दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं। मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए), और संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन और न्यायसंगत, किफायती स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिए अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन को बढ़ाना शामिल है। इसके सभी नागरिकों, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में गरीब और कमजोर आबादी को राज्यों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके संसाधन दायरे में रखी गई आवश्यकताओं के आधार पर। जनजातीय क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए एनएचएम के तहत समर्थित विभिन्न छूट इस प्रकार हैं;

भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान भारत के हिस्से के रूप में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को परिवर्तित करके स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना की गई है, ताकि व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) के बारह पैकेज प्रदान किए जा सकें, जिसमें निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, मुफ्त और समुदाय के करीब हैं। चालू वित्तीय वर्ष में, 06 फरवरी, 2022 तक 90109 से अधिक एचडब्ल्यूसी चालू हो चुके हैं। इनमें से 15041 177 आदिवासी जिलों में हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानदंडों में ढील दी गई है। एसएचसी, पीएचसी और सीएचसी की स्थापना के लिए 5,000, 30,000 और 1,20,000 के जनसंख्या मानदंडों के मुकाबले, दूरस्थ, आदिवासी, रेगिस्तान और दुर्गम क्षेत्रों जैसे कमजोर क्षेत्रों में मानदंड क्रमशः 3,000, 20,000 और 80,000 है।

एनएचएम के तहत, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) तैनात करने की छूट दी गई है ताकि विशेष रूप से दूरदराज, दुर्गम, गैर-सेवित और अल्प-सेवित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान की जा सके। संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पहचानी गई आवश्यकताएँ।

स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा पहल शुरू की गई है। संबंधित स्तरों की सुविधाओं के लिए आवश्यक दवाओं की सूची के अनुसार, कमजोर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को दवाएं पर्याप्त रूप से प्रदान की जाती हैं। यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कमजोर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में दवाओं की उपलब्धता में कोई रुकावट न हो।

आशा कार्यक्रम दिशानिर्देश पहाड़ी, आदिवासी और कठिन क्षेत्रों में बस्ती स्तर पर आशा की भर्ती के लिए प्रदान करते हैं। नतीजतन, आशाओं को बस्ती स्तर पर रखा गया है (लगभग 1000 की आबादी पर एक आशा के राष्ट्रीय मानक से काफी नीचे)।

भारत सरकार बीमार मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक मुफ्त परिवहन के लिए एनएचएम के तहत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन कर रही है। राज्य इन एम्बुलेंसों को कम जनसंख्या मानदंड या देखभाल के समय के दृष्टिकोण के अनुसार रखने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि ये एम्बुलेंस सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हों। इसके अलावा, सभी आदिवासी बहुल जिले जिनका समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से नीचे है, उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) के रूप में पहचाना गया है और इन जिलों को राज्य के बाकी जिलों की तुलना में एनएचएम के तहत प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं। इन जिलों को प्रति व्यक्ति अधिक फंडिंग मिलती है, निगरानी में वृद्धि हुई है और सहायक पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें अपनी विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विशेषज्ञ सेवाओं के शटेका देने और शटेका देने जैसे विभिन्न तंत्रों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए लचीले मानदंड अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनएचएम देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान करता है— सी सेक्शन आयोजित करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय।

दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य मानव संसाधन, विशेष रूप से चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए कठिन क्षेत्र भत्ते और विशेष पैकेज प्रदान किए जाते हैं।

डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन आदि जैसे प्रोत्साहन।

राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए श्आप बोली लगाएं, हम भुगतान करेंगे जैसी रणनीतियों में लचीलेपन सहित परक्राम्य वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा, एनएचएम के तहत कठिन क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी पेश किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही। इन्हीं बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य संस्थाओं का संबंध रोगों एवं बीमार व्यक्तियों से हैं तथा रोगियों की संख्या से संबंध जनसंख्या से होता है।

शोध साहित्य समीक्षा :-

1. **जे.एम. विलियम के अनुसार** – “स्वास्थ्य जीवन का गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है।”
2. **क्रोव एफ. के अनुसार** – “स्वास्थ्य मानव की सामान्य तथा साधारण स्थिति और उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक मानसिक व वातावरण सम्बंधी प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करता है”।
3. **हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार** – अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुषहाली निर्भर करती है।

शोध विधि :-

प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्य रूप से द्वितीय का आंकड़ों का उपयोग किया गया है। साथ-ही-साथ उसका आवश्यकता अनुसार विश्लेषित किया गया है। उत्तम स्वास्थ्य की चाहत तथा निदान की आवश्यकता स्वास्थ्य सुविधाओं की जननी हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के चिकित्सा पद्धति से इस बात की पुष्टि होती है। वर्तमान समय में उन सभी पद्धतियों के दर्शन सहजता से लिये जा सकते हैं। जिनमें स्वास्थ्य लाभ के लिये मंत्र, टोने, टोकके, झाड़ फूक के अतिरिक्त देशज जड़ी बूटियों, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि पद्धतियों के द्वारा रोगो का निदान कर स्वास्थ्य लाभ की प्रथा प्रचलित मिलती हैं। प्रकृति के अनुसार इन पद्धतियों के दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

वैज्ञानिक पद्धति—इस पद्धति के द्वारा रोगो का निदान झाड़-फूक, तंत्र-यंत्र टोने-टुक्टा के द्वारा किया जाता है। इस पद्धति में वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। पूरा उपचार अंध विष्वास पर आधारित होता है। वास्तव में इस रोग के निदान की इस प्रकृति के मानव स्वास्थ्य को कोई लाभ नहीं पहुँचता है।

अध्ययन क्षेत्र पुष्पराजगढ़ तहसील में यद्यपि साक्षरता का प्रतिशत 54 प्रतिशत है फिर भी कुल जनसंख्या के लगभग 70 प्रतिशत लोग रोग निदान की इस पद्धति पर किसी न किसी रूप में करते हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में प्रमुखता से पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आवासों या आवास के पास विभिन्न देवी-देवताओं तथा झाड़फूक से संबंधित चवूतरे में मन्तों माँगते हैं। तथा झाड़फूक करते हैं तथा इसी प्रत्याषा में कई दिनों तक चिकित्सकों के पास नहीं जाते हैं।

परीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति – इस चिकित्सा पद्धति पर आधारित रोगों का निवारण परीक्षण के उपरान्त चुनी हुई औषधियाँ प्रदान की जाती हैं। इन पद्धतियों में यूनानी, होमियो, आयुर्वेद, एलोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा मुख्य पद्धतिया हैं। जिसमें रोग निदान के कार्यों का सम्पादन किया जाता है। रोग निदान की इस पद्धति का अध्ययन क्षेत्र के 65 प्रतिशत जनसंख्या अपनाती हैं। जो बीमारी के तुरन्त वाद योग्य चिकित्सकों के परामर्श के उपरान्त औषधि का सेवन करते हैं। जब विशेष 35 प्रतिशत लोग झाड़फूक पर निर्भर रहते हैं।

किसी क्षेत्र में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे-वैसे प्रदूषण में वृद्धि तथा रोगों में धनात्मक वृद्धि होती है। अतः निष्कर्ष में सेवा केन्द्रों के विकास का संबंध जनसंख्या वृद्धि के साथ क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों में वृद्धि धनात्मक मिलती है। जो तालिक क्रमांक 1 से स्पष्ट है—

तालिका क्रमांक 1: पुष्पराजगढ़ तहसील में स्वास्थ्य संस्थाओं का विकास

क्र.	वर्ष	जनसंख्या	स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या				योग
			ऐलो.	आर्यु.	होम्यो.	यूना.	
1.	1971	87343	70	2	2	—	74
2.	1981	115780	—	—	—	—	—
3.	1991	134752	—	—	—	—	—
4.	2001	194574	—	—	—	—	—
5.	2011	221589	59	1	—	—	60
	योग		129	3	2		134

स्रोत—जिला सांख्यिकीय पुस्तिका जिला अनूपपुर जिला अनूपपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राप्त प्राविधिक जानकारी पर आधारित 2021

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पुष्पराजगढ़ तहसील में जनसंख्या वृद्धि की दर का सीधा प्रभाव स्वास्थ्य संस्थाओं के ऊपर पड़ा हुआ दृष्टिगोचर होता है। उपलब्ध जनसंख्या संबंधी आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि आधार वर्ष 1971 में अध्ययन क्षेत्र की 87343 कुल जनसंख्या थी इस जनसंख्या के लिए समस्त प्रकार के स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या थी जिनमें ऐलोपैथी तथा 70 आर्युवेद संस्थाएँ थी। अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या 2011 में बढ़कर 221589 एवं 74 प्रतिशत हो गई।

1981 में स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 35 थी इस प्रकार 1991 में बढ़कर 52 हो गयी और इस प्रकार 2001 से 2011 के मध्य प्रति स्वास्थ्य केन्द्रों में 44.77 प्रतिशत वृद्धि अंकित की गई। स्वास्थ्य पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव निम्नानुसार हैं—

1. 1981 के पूर्व क्षेत्र की जनसंख्या का विकास सामान्य रहा । उसी अनुपात में स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास हुआ।
2. 1981 के पूर्व प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों में वृद्धि अधिक नहीं थी जिसमें रोगों की वारम्बारता तथा विविधता निश्चित रही।
3. आदिवासी क्षेत्रों का कम विस्तार होने के कारण पर्यावरण मानव उपयोगी एवं संतुलित रहा है।
4. नगरीय क्षेत्रों में धीरे-धीरे विकास होने, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य केन्द्रों में वृद्धि होती गई —
5. वैज्ञानिक तकनीकी विकास के कारण चिकित्सकीय सुविधा से सम्बंधित उपकरण सस्ते दर से उपलब्ध हुए तथा विभिन्न शासकीय वित्तीय मदों के लिए उपलब्ध हुई जो स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान की।

विश्व एवं भारत के अन्य क्षेत्रों की भाँति अध्ययन क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में विभिन्न प्रदूषण का जोर बढ़ता जा रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण अपनी उपस्थिति प्रमुखता से दर्ज करवा रही हैं वही जनसंख्या प्रदूषण जनित विविध समस्याएँ भी उग्र रूप में धारण करती जा रही हैं। उन सब के प्रभाव से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तथा कार्य क्षमता के निरन्तर हास दिखायी पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता निम्नांकित कारणों से हैं।

1. स्वास्थ्य के उच्च गुणवत्ता को स्थापित करना।
2. रूग्णता को दूर करना।
3. जनसंख्या के पारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करना।
4. क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करना
5. जनसंख्या के वृद्धि को नियंत्रित करना

6. रहन-सहन के स्तर को उच्च करना
7. मानवीय सुविधाओं की सतत आपूर्ति बनाये रखने को सुनिश्चित करना।
8. मृत्युदर को कम करके औसत आयु में वृद्धि करना।

उपर्युक्त कारणों से निदान प्राप्ति हेतु विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता अध्ययन क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में निवास करने वाली जनसंख्या को है।

क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित वाद ठीक होने के कारण इन पद्धतियों को अपनाकर रोगों से छुटकारा पाते हैं।

तालिका क्रमांक 2: साक्षात्कार सूची से प्राप्त निष्कर्ष

क्र.	विवरण	प्रति 100 परिवार में किया गया अध्ययन प्रतिषत प्रतिफल में
1	झाड़फूक (टोने टोटके)	35
2	परीक्षण पर आधारित	65
	(अ) एलोपैथी	65
	(ब) आयुर्वेद	25
	(स) होम्योपैथी	10
	(द) यूनानी	6
	(य) अन्य	4

स्रोत – क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित

चिकित्सा पद्धति के प्रकार –

रोग निदान के लिए रोगों की पहचान, दवा परीक्षण तथा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में कौन सी दवाई उपयोगी है जो उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगी। चिकित्सकों के परीक्षण के बाद दी जाती हैं जिसका स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के कार्य कुशल चिकित्सकों के द्वारा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा किये जाते हैं। अतः अध्ययन क्षेत्र में चिकित्सा पद्धति को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. एलोपैथिक पद्धति –

इस पद्धति से अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जो कि रसायनिक उत्पादों से निर्मित की जाती है। इस पद्धति में रोग का एकसरे तथा खून, पेशाब, मल की जाँच मषीन के माध्यम से रोगों का परीक्षण करने के वाद रोग से संबंधित दवाईयाँ दी जाती हैं। यह पद्धति पश्चिमी षोधकार्यों पर आधारित है। जिसमें शरीर के विभिन्न तंत्रों का निदान अंग्रेजी पद्धति द्वारा किया जाता है। इस पद्धति में सर्जरी तथा मेडिसिन प्रमुख दो शाखाये है।

2. आयुर्वेद पद्धति –

यह पद्धति अत्यंत प्राचीन है। इसमें नाड़ी परीक्षण एवं लक्षण को देखकर रोगोपचार किया जाता है। इस पद्धति में दवाओं का प्रतिकूल असर कम होता है। क्योंकि सभी प्रकार की औषधि वनस्पतियों तथा खनिज पदार्थों से निर्मित होती हैं। इस पद्धति में भी काय चिकित्सा और सर्जरी दोनों पद्धतियों का प्रचलन है, किन्तु काय चिकित्सा को प्राथमिकता मिली है।

3. होम्योपैथी पद्धति –

इस पद्धति में लक्षण के आधार पर रोग उपचार किया जाता है। इसमें आयुर्वेदिक पौधों के अर्क को सांद्रित करके षर्करा की गोलियों में भिगोंकर रोगी को दी जाती है।

4. यूनानी पद्धति –

इस पद्धति से भी उपचार किया जाता है। तथा रोगों के निदान हेतु औषधि उपयोग में लायी जाती है।

अन्य पद्धति –

उपरोक्त पद्धति के अलावा अध्ययन क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा एवं जनजातिय विष्वविद्यालय अमरकंटक में योग अभ्यास के द्वारा भी रोगों के निदान की पद्धति अपनायी जाती है। तथा रोग मुक्ति हेतु मार्गदर्शन दिये जाते हैं।

तालिका क्रमांक 3: पुष्पराजगढ़ तहसील में ऐलोपैथी स्वास्थ्य संस्थाएँ— 2011

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	मेडिकल कालेज	निरंक
2	जिला चिकित्सालय	निरंक
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	02
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5
5	उप स्वास्थ्य केन्द्र	58
6	अन्य केन्द्र	02
7	निजी ऐलोपैथी चिकित्सा	07
	कुल	74

स्रोत— जिला सांख्यिकीय पुस्तिका अनूपपुर म0प्र0 एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार—

आयुर्वेदिक पद्धति—इस पद्धति में रोग की जड़ पेट को माना जात है। जिसका अभिज्ञान नाडीतंत्र के द्वारा किया जाता है इस पद्धति में भी कार्य चिकित्सा और सर्जरी दोनों पद्धतियों का प्रचलन है किन्तु काय चिकित्सा को प्राथमिकता मिली। अध्ययन क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में आयुर्वेदिक सेवा संस्थाओं की षासन द्वारा स्थापना की गई है। स्वास्थ्य केन्द्र तहसील के जनसंख्या घनत्व इस कोटि का नहीं है जिससे क्षेत्र के निवासियों को सरल एवं सस्ती सुविधा उपलब्ध हो सकें।

अध्ययन क्षेत्र पुष्पराजगढ़ तहसील का कुल क्षेत्रफल 1764 वर्ग किमी0 जहाँ प्रति वर्ग किमी0 क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र का घनत्व मिलता है। वही स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र की दृष्टि के 30.41 वर्ग किमी. में एक स्वास्थ्य केन्द्र पाया जाता है जो तालिका से स्पष्ट है।

स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण एवं घनत्व—

मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए कुशल चिकित्सीय आवश्यकता होती है। जो किसी निश्चित स्थान पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में जैसे –जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इन रोगों के

निदान हेतु चुने गये स्थलों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई ऐसे केन्द्र जहाँ से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सहायता औषधि वितरण, रोगों के परीक्षक आदि कार्य सम्पादित होते हैं।

इस प्रकार की स्वास्थ्य संस्थाएँ संचालित किये जाने वाले लोगों की प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं।" इस संवर्ग की संस्थाओं का निर्माण संचालन, रखरखाव, वित्तीय व्यवस्था आदि सभी की जिम्मेदारी शासन के द्वारा की जाती है। शासकीय संस्थाओं में कुशल कर्मचारी के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

निष्कर्षता

यह कहा जा सकता है कि इस योजना के तहत एक चलित वाहन का निर्माण कराया गया है जिसमें डॉक्टर, स्टाफ, जरूरी उपकरण एवं दवाईयों उपलब्ध हैं। यह चलित वाहन आदिवासी क्षेत्र के ग्रामों एवं हाट बाजारों में सभी वर्ग के लोगों को निरुशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के अंतर्गत निम्नांकित स्वास्थ्य सेवायें निरुशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं :-

1. चिकित्सीय परामर्श, प्राथमिक उपचार प्राथमिक जांच व निरुशुल्क दवा वितरण।
2. प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण व आवश्यक दवाईयों का वितरण।
3. मलेरिया व टी.बी. जांच के लिये रक्त एवं खरखार पट्टी संग्रहण।
4. जटिल स्वास्थ्य संबंधी प्रकरणों की पहचान व आवश्यक उपचार के लिये शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में मरीजों के रिफर करना।
5. टीकाकरण।
6. परिवार नियोजन के विभिन्न माध्यमों के संबंध में जानकारी।
7. विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श।

संदर्भ स्रोत:

1. सर्वेश तिवारी –रीवा शहर में मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव एक भौगोलिक अध्ययन अप्रकाशित शोध प्रबंध अ.प्र. सिं. वि. वि. रीवा
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार –‘Health is a status of complete physical mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity’
3. आचार्य चतुरसेन – आरोग्य शास्त्र – प्रभात प्रकाशन दिल्ली पृ. सं. 137
4. के. के. वर्मा– स्वास्थ्य शिक्षा टन्डन पब्लिक लुधियाना 1999–पृ.07
5. तिवारी, चन्द्रमणि, जनजातीय पर्यावरण, आशा पब्लिशिंग, आगरा, 1999
6. Sharma, S.K. (1989) Ecology and Development of land Resource with Special reference to Tribal zone of M.P.